पत्रांक-डी.एम.सी-1एम-125/2015................/

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अंशुली आर्या

सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक-

विषयः- भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त भवनों के सुरक्षा दृष्टिकोण से रहने योग्य आकलित करने तथा क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मति/विशेष मरम्मति से संबंधित सुझाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विगत दो दिनों में बिहार के सभी हिस्सों में भूकम्प के लगातार झटके आ रहे है तथा कई जिलों में जान-माल की क्षति की भी सूचना प्राप्त हो रही है।

विभिन्न जगहों से लोगों के द्वारा यह शंका व्यक्त की जा रही है कि जिनके भवन क्षतिग्रस्त हो गये है या भवनों के दिवालों अथवा छतों में दरार इत्यादि आ गये है, तो वे रहने योग्य है या नहीं। ऐसे में सरकार का यह दायित्व है कि स्थानीय लोगों के शंकाओं का निवारण भलिभांति किया जाए।

उपर्युक्त क्रम में आम जनता से सूचना प्राप्त होने पर भवन निर्माण विभाग के प्रमंडलों तथा अन्य कार्य विभागों के अभियंताओं एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के दल गठित कर भवनों की क्षतिग्रस्तता ग्रेड को परिभाषित करते हुए रहने योग्य या अयोग्य चिन्हित कराया जाय। इसके लिए संलग्न तालिका के आलोक में क्षतिग्रस्त भवनों को पाँच ग्रेड यथा-G-1, G-2, G-3, G-4 एवं G-5 में चिन्हित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार भवनों में ग्रेड एवं निरीक्षण की तिथि भी भवन पर अंकित कर दिया जाय।

संलग्न तालिका के अनुसार G-1 एवं G-2 ग्रेड के क्षतिग्रस्त भवन रहने योग्य होंगे तथा G-3 ग्रेड के क्षतिग्रस्त भवन में रहना अभी असुरक्षित होगा, पर इनमें जाकर अपनी आवश्यकतानुसार समान इत्यादि निकाल सकते है।

इसके अलावा G-4 एवं G-5 के ग्रेड के भवनों को असुरक्षित घोषित किया जाय।

भवन निर्माण विभाग के साथ-साथ अन्य कार्य विभागों के अभियंता G-1 एवं G-2 ग्रेड के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मति/विशेष मरम्मति हेतु संलग्न मार्गदर्शिका के आधार पर कार्य कराने का परामर्श संबंधित आवासियों को दे सकते है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर पर प्राप्त हो रहे शिकायतों एवं शंका के निवारण हेतु सभी कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंताओं की एक बैठक आयोजित कर इन कार्यो को तत्परता से कराने हेतु आवश्यक दिशा-निदेश जारी करें। कृपया निरीक्षण दल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की मूल प्रति अपने यहाँ अभिलेख के रूप में संधारित करें।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अंशुली आर्या)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/श्री. अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव।